न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ.राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 36/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा	**बनाम**	1. मोहन, रामेश्वर, शंकर पिता परथु जाट, रूकमण पुत्री परथु जेती पत्नी परथु जाट निवासी भोपालगढ तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामेश्वर लाल जाट अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम भोपालगढ की आ.न. 323 रकबा 3.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 12.04.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 29.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

2053 में आवंटित रकबा 3.10 बीघा में से विपक्षी द्वारा 2.00 बीघा भूमि पर मक्की, संवत् 2054 में 3.00 बीघा भूमि पर उड़द, तिल्ली, ज्वार की काश्त की जाना खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता हैं। इसी प्रकार संवत् 2063 में 1.10 बीघा भूमि पर मक्की एवं संवत् 2064 में 1. 10 बीघा भूमि पर मक्की की काश्त की जाना स्पष्ट होता हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत इन खसरा गिरदावरियों के खण्डन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई पुष्ट साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षी को आंवटित भूमि की आवंटन पत्रावली प्रस्तुत नही की हैं, जिससे प्रकरण में मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड की उल्लघंना की जाना या नहीं किये जाने के संबंध में कोई विवेचना किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। अतः उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम भोपालगढ के आराजी नं. 323 रकबा 3.10 बीघा भूमि आवंटन को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)